रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240278 CG-DL-E-15112022-240278

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5057] No. 5057] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2022

का.आ. 5276(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पशचात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1402(अ) तारीख 22 मार्च 2022, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 1360 तारीख 28 मार्च 2022, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तेलंगाना राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख़ 22 अप्रैल 2022 तक उपलब्द करा दी गई थी:

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

7541 GI/2022 (1)

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्द कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल: बालानगर		जिला: महबूबनगर		राज्य: तेलंगाना				
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल				
				एकर्स	गुंटा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	बालानगर	तिरुमलगिरि	220	00	03			
2			224	00	03			
3			251	00	26			
4	बालानगर	मोदंपल्ली	125	00	04			
5			127	00	11			
6			159	00	07			
7	बालानगर	पेद्दारेवल्ली	260	00	05			
8			257	00	09			
9			256	00	07			
10			370	00	05			
11			371	00	14			

12			369	00	02
13			262		ļ
			363	00	11
14			361	00	29
15			259	00	04
16			24	00	02
17 बार	लानगर	हेमजीपुर	107	00	02
18			109	00	10
19			60/54	00	01
20 बार	लानगर	लिंगारम	35	00	04

[फा. सं. आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2022

S.O. 5276(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.1402(E) dated the 22 March. 2022, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No.1360 dated the 28 March. 2022, the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Telangana for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 22 April 2022.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

N	fandal:Balanagar	Dist: Mahbubnagar		State: Telangana	
CL N.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
Sl.No.				Acres	Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Balanagar	Thirumalagiri	220	00	03
2			224	00	03
3			251	00	26
4	Balanagar	Modampalli	125	00	04
5	Dalahagai	Wodampam	127	00	11
6			159	00	07
7	Balanagar	Peddarevelly	260	00	05
8			257	00	09
9			256	00	07
10			370	00	05
11			371	00	14
12			369	00	02
13			363	00	11
14			361	00	29
15			259	00	04
16			24	00	02
17	Balanagar	Hemajipur	107	00	02
18	Datanagai	Tiemajipui	107	00	10
19			60/54	00	01
-		1			
20	Balanagar	Lingaram	35	00	04

[F. No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417] P. SOMA KUMAR, Under Secy.